<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 10.10.2020

सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने वाले अभियुक्त को थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर भेजा गया जेल-

दिनांक 09.10.2020 को प्रवीण दीक्षित पुत्र नवल किशोर निवासी सार्वजनिक इण्टर कालेज के सामने भटखेड़ा वार्ड थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा फेसबुक आईडी से सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी की गयी थी ।

सोशल मीडिया सेल, जनपद बाराबंकी द्वारा उक्त टिप्पणी को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त प्रकरण में थाना हैदरगढ़ पुलिस को तत्काल कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया जिस पर थाना हैदरगढ़ पर प्रवीण दीक्षित उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 346/2020 धारा 507 भादवि व 67 आई.टी.एक्ट पंजीकृत किया गया ।

प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.10.2020 को ही अभियुक्त प्रवीण दीक्षित उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।